



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U. P. Power Corporation Limited
(U.P.Govt. Undertaking)
CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या : ०८-उ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०१९-०७-विविध(२ब) / २०१८

दिनांक: ०८ मार्च, २०१९

कार्यालय ज्ञाप

चयन समिति की संस्तुति पर श्री प्रवीण कुमार चौबे (2015175) (बक्सर-बिहार) (स०नि० की तिथि: 31.12.2042), सहायक अधिकारी (राजस्व) विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-II, चौकाघाट, वाराणसी को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर नियुक्त हेतु प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वय विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है।

2— परिषदादेश संख्या 1849—का.वि.नि./रा.वि.प.—२९/९७—१४काविनी/८७ दिनांक ८ अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री प्रवीण कुमार चौबे (2015175) को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री सौरभ भारद्वाज (2014086) की अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के दिनांक 26.09.2018 से नोशनल प्रोन्नति माने जाने के आदेश किये जाते हैं। इस नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री श्री प्रवीण कुमार चौबे (2015175), का वेतन उनके कनिष्ठ सौरभ भारद्वाज (2014086), अधिशासी अभियन्ता के समतुल्य नोशनल प्रोन्नति के दिनांक 26.09.2018 से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित करने के आदेश किये जाते हैं कि उन्हें नोशनल प्रोन्नति के दिनांक 26.09.2018 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण के दिनांक के बीच की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।

3— यह भी आदेश किये जाते हैं कि का०ज्ञा०संख्या—४४०—काविनी/पाकालि—२९/२००० दिनांक १—६—२००० में निहित प्राविधानानुसार उक्त अधिकारी की अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अहकारी सेवा की गणना उनकी उपरोक्त नोशनल प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी।

4— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21—३—२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

5— सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

6— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०—५९१०—गोपन/पाकालि(०६)—२००१ दिनांक ११—६—२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

7— यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञा० में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उददेश्य के लिए मान्य होगा।

8— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञापांक २९००—प्रशि०—१०/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

9— उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमसं:.....2.....



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपकरण)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928



-2-

संख्या: 08(1)आ०प्र०(2ब) / पा०का०लि० / 2019 तददिनांक

प्रतीलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— मा० ऊर्जा/ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाञ्चल, आगरा/मध्याञ्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमाञ्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०न्समिशन का०लि०।
- 5— मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 6— समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 8— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9— उप सचिव (प्रशिक्षण)/(गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्राली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,
(सदानन्द)
उप सचिव
27/IV/2019